संख्याः 40 / XV-1/18/1(7)/16

प्रेषक,

आर०मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 30 जनवरी, 2018

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत चालू योजनाओं (अनुदान सं० 28) में धनराशि अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–429/XV-I/17/1(7)/16 दिनांक 19 अप्रैल, 2017 के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण, पशुचिकित्सालय पर शल्य चिकित्सा आदि की सुविधा, पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र पशुलोक में व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु डेयरी यूनिट की स्थापना एवं पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹47.00 लाख में से प्रथम चरण में ₹ 15.67 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। विषयगत प्रकरण से संबंधित आपके पत्र संख्या–4177/नि0–5/एक(42)/आय–व्ययक/2017–18 दिनांक 18 नवम्बर, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण की योजना हेतु आय–व्ययक में अवशेष धनराशि ₹3.33 लाख (तीन लाख तैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक किसी दशा में व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।

(4) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या संबंधित इकाई में समकक्ष स्तर से स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमान्तर्गत अथवा शासन की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

(5) वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तद्नुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जाये।

(6) बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा बी०एम०–10 प्रारूप में बजट नियंत्रक पंजी में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण

हस्ताक्षर समस्त कोषागार में परिचालित हों, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन धनराशियां जारी की जाय,अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(7) प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किया जाय।

(8) स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता/दुरूपयोग/ दोहरीकरण (Doubling) पाये जाने पर विभागाध्यक्ष एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें।

(9) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक –2403–पशुपालन–00–101–पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य–0106–प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण योजना के –44–प्रशिक्षण व्यय के अंतर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(153)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर०मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्याः 40 (1)/XV-1/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं कुमायूँ मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/परियोजना निदेशक, पशुलोक, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय देहरादून।
7. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
संयुक्त सचिव